**न्यायालयः—अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 बहरोड जिला अलवर**

**सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड :— रेफरेन्स कर्ता**

**बनाम**

**नगरपालिका बहरोड जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका बहरोड :— उत्तरदाता**

रेफरेन्स याचिका अंतर्गत धारा 3 (एच) 4, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956

रेफरेन्स प्रकरण संख्या 46/2015

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 10-01-2020 | रेफरेन्स कर्ता/प्रार्थी सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड द्वारा अप्रार्थी/उत्तरदाता नगरपालिका बहरोड जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका बहरोड के विरूद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 (एच) 4 के तहत यह रेफरेन्स प्रस्तुत कर रखी है, जो आज निर्णय में है। प्रार्थी अनुपस्थित उसके अधिवक्ता श्री हवासिंह यादव उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित उसके अधिवक्ता श्री हुकमचन्द शर्मा व श्री जितेन्द्र शर्मा उपस्थित। रेफरेन्स इन आधारों पर प्रस्तुत की हैं कि उक्त अधिनियम 1956 के तहत राजमार्ग संख्या 8 गुडगॉव जयपुर को छः लेन में परिवर्तित करने हेतु प्रार्थी को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर सक्षम अधिकारी नियुक्त कर भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर प्रार्थी द्वारा आपत्तियों के निस्तारण के बाद भूमि अधिग्रहित की गयी। इसके मुआवजा निर्धारण हेतु समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की गयी और मुआवजा राशि निर्धारित होने पर भारत सरकार द्वारा प्रार्थी के खाते में जमा करा दी है। अधिग्रहित भूमि में से खसरा नम्बर 33 गॉव बहरोड तरफ बलराम की भूमि राजस्व रिकार्ड में नगरपालिका बहरोड के नाम दर्ज है। नगरपालिका को इस भूमि की अवार्ड राशि प्राप्त करने हेतु कई बार लिखा गया लेकिन उसने राशि नहीं उठायी है। अन्य किसी हितकारी ने कोई आपत्ति या क्लेम प्रस्तुत नहीं किया हैं इसलिये राशि वितरित नहीं हो पा रही हैं। अधिनियम की धारा 3 (एच) 4 के तहत यह विवाद उत्पन्न होने पर कि मुआवजा राशि प्राप्त करने का कौन अधिकारी है, को तय करने हेतु सिविल न्यायालय को मामला रैफर करने बाबत् निम्न प्रावधान किया गया हैः—<br>"If any dispute arises as to the apportionment of the amount or any part thereof or to any person to whom the same or any part thereof is payable, the competent authority shall refer the dispute to the decision of the principak civil court of original jurisdiction within the limits of whose the land is situated."<br>खसरा नम्बर 33 में से 10 वर्गमीटर भूमि की अवार्ड राशि 10,648/—रूपये बनती हैं इसका चैक रेफरेन्स के साथ लगाकर यह तय कराने की प्रार्थना की गयी कि विवादित राशि का हकदार कौन व्यक्ति है, यह तय कर राशि उनको प्रदान की जावे।<br>इस पर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया। उसके द्वारा उपस्थिति दी गयी परन्तु कोई आक्षेप या क्लेम पेश नहीं किया है। इस पर प्रकरण साक्ष्य में नियत हुआ, लेकिन दोनो ही पक्षों की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दी गयी हैं। | |

इस पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। जिसमें प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अपने अभिवचन अनुरूप तर्क हैं जबकि अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क रखा हैं कि नगरपालिका के अलावा इस राशि को प्राप्त करने हेतु किसी के द्वारा क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया तब कोई विवाद की स्थिति नहीं थी, इसके बावजूद नगरपालिका का हक प्रभावित करने के लिये यह रेफरेन्स प्रस्तुत की हैं जो चलने योग्य नहीं है।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मैटेरियल का परिशीलन किया। **रेफरेन्स में इस बिन्दु पर विचार करना है कि अवार्ड राशि का क्या विवाद है व कौन प्राप्त करने का अधिकारी है?** रेफरेन्स से ही प्रकट है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की भूमि अधिग्रहित मानते हुये उसे ही मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी पाया और अप्रार्थी को कई बार लिखे जाने का तथ्य भी दर्शाया लेकिन इसके समर्थन में कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये हैं कि नगरपालिका को कोई लिखित सूचना अवार्ड राशि प्राप्त करने की प्रार्थी द्वारा दी हो। इस बाबत् कोई पत्राचार पत्रावली पर नहीं है न ही कोई साक्ष्य है जबकि इस तथ्य को प्रार्थी को साबित करना था कि क्या वास्तव में अवार्ड राशि के संबंध में परस्पर दावे थे तभी कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति हो सकती थी। खुद प्रार्थी यह मानते है कि अन्य किसी व्यक्ति या संस्था एवं हितधारी द्वारा अवार्ड राशि प्राप्त करने के लिये कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं किया तब फिर इस अवार्ड राशि बाबत् नगरपालिका का कोई किसी से विवाद नहीं रह सकता था। इन परिस्थितियों में रेफरेन्स में जो धारा 3 (एच) 4 के प्रावधान का हवाला दिया है उस अनुसार कोई विवाद रेफरेन्सकर्ता का अप्रार्थी से नहीं रह जाता, न उत्पन्न होना पाया जाता हैं बल्कि प्रार्थी सक्षम अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों को विधिपूर्ण निस्पादित नहीं करते हुये अनावश्यक यह रेफरेन्स प्रस्तुत की हैं जबकि ऐसा कोई विवाद ही उत्पन्न नहीं हुआ था जिसमें यह तय किया जाना हो कि वास्तव में अवार्ड राशि प्राप्त करने का कौन व्यक्ति अधिकारी है, क्योंकि उक्त अवार्ड राशि विवादित भी किसी के द्वारा नहीं की हैं तब यह रेफरेन्स इसमें निर्धारित बिन्दु के निर्धारण हेतु कोई विवाद का कारण उत्पन्न नहीं होने से चलने योग्य नहीं हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत यह रेफरेन्स कोई विवाद का कारण उत्पन्न नहीं होने की वजह से चलने योग्य नहीं होना पाकर इस प्रकार खारिज करते हुये निस्तारित की जाती है कि सक्षम अधिकारी अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (एच) 4 एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ में निस्पादित कर अवार्ड राशि विधि अनुसार इसके हकदार व्यक्ति को अदा करें। अवार्ड राशि इस न्यायालय के बैंक ऑफ बडौदा शाखा बहरोड में जमा है जिसे सक्षम अधिकारी विधि अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी होगा जो उनके आवेदन पर इस पर अब तक देय ब्याज सहित वापिस लौटायी जावे।

उक्तानुसार यह पत्रावली शुमार फैसल कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.01.2020 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

| | | |
|---|---|---|
| | अपर जिला न्यायाधीश<br>सं. 01 बहरोड जिला अलवर | |
| | | |